55

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किल कोर्ट रीवा जिलारीवाम.प्र.

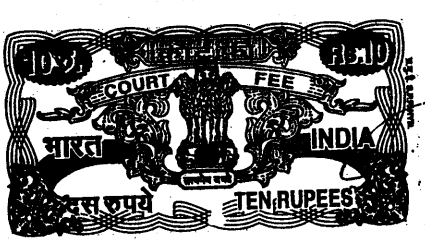

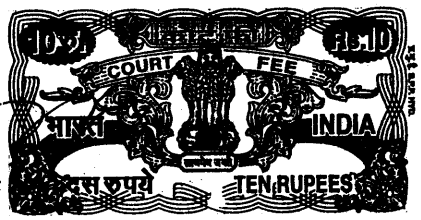

830
19.12.12

R-844-III/13

श्री अशोक सिंह एड. द्वारा पेश
19-12-12

1- अशोक कुमार सिन्हा,	चारो के पिता श्री रविचन्द्र बहादुरलाल सिन्हा,
2- प्रकाशचन्द्र सिन्हा,	निवासी मकान नंबर एच.आई.जी. 5, आर.आई.टी. कालोनी सिरमौर चौराहा के पास, रीवा,
3- अनिल कुमार सिन्हा,	तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)-
4- रूपेश कुमार सिन्हा,	

-----निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

1- जगतबहादुर सिंह तनय श्री कमलेश्वर सिंह, निवासी नेहरूनगर वार्ड क्र. 13 रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)- ------- अनावेदक

तहसीलदार, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 128अ6/2011-12 में पारित आदेश दि0 07/09/2012 के विरुद्ध निगरानीयाचिका. अन्तर्गत धारा 50 भू. राजस्व संहिता।

22-2-13

मान्यवर,

निगरानी के आधार :-

निगरानीकर्तागण का विनम्र निवेदन नीचे लिखे अनुसार निम्न है:-

1- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवम् प्रक्रिया के विपरीत होने के साथ ही अधिकारिता रहित है, इस कारण किसी भी दृष्टिकोण से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

2- तहसील रायपुर कर्चुलियान के न्यायालय में तहसीलदार के पद पर श्री बी.पी. त्रिपाठी पदस्थ थे, उनका हस्तांतरण हो जाने के कारण उन्हें उनके पद से दिनांक 06/09/2012 को ही भारमुक्त कर दिया गया था। इस कारण श्री बी.पी. त्रिपाठी तहसीलदार के हैसियत से दिनांक 07/09/2012 को कोई भी आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं रखते थे। वे दिनांक 06/09/12 के बाद तहसील रायपुर कर्चुलियान के तहसीलदार नहीं रह जाने के कारण वे पीठासीन अधिकारी के हैसियत से कार्य करने हेतु तहसील कोर्ट गये ही नहीं थे

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R.844-तीन/13 जिला रीवा

अशोक कुमार सिन्हा / नाहरबहादुर सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.12.16 (121)	1- आवेदकगण के अभिभाषक श्री अवधेश सिंह द्वारा आज मौखिक बताया गया कि वह इस प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है। 2. वास्ते विचारार्थ पेशी तारीख 18-1-17 आदेशार्थ (हस्ताक्षर)	
18.1.17.	आवेदक अभिभाषक श्री अवधेश सिंह उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण नॉट प्रेस करने का अनुरोध किया। आवेदक अभिभाषक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए प्रकरण नॉट प्रेस में समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (हस्ताक्षर) सदस्य	Not Press (हस्ताक्षर)